

Motion for Election to Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

डॉ. फगन सिंह कुलस्ते (मंडला) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

?कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2025 से आरम्भ और 30 अप्रैल, 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।?

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2025 से आरम्भ और 30 अप्रैल, 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : आइटम नंबर 20, डॉ. फगन सिंह कुलस्ते जी।

डॉ. फगन सिंह कुलस्ते (मंडला) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

?कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2025 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2025 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

-

-

12.11 hrs